

प्राक्कथन

मार्च 2024 को समाप्त अवधि का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में हरियाणा सरकार के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण, जो वर्ष 2023-24 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे तथा वे, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आए थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे, उल्लिखित हैं; 2023-24 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।